



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भाधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

116  
25/7/86

सं. 275]  
No. 275]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 3, 1986/ज्येष्ठ 13, 1908  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 3, 1986/JYAISTHA 13, 1908

इस भाग में भिन्न-भिन्न संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

दत्त संचालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 3 जून, 1986

अधिसूचना

सं. 333/86-सीमाशुल्क

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

New Delhi, the 3rd June, 1986

NOTIFICATION

No. 333/86-CUSTOMS

सा. का. नि. 829(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक है, अध्याय 27 की अन्तर्गत आने वाले कोल तार पिच को जब उसका भारत में आयात किया जाय, उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 31 मई, 1987 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रदत्त रहेगी।

G.S.R. 829 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts coal tar pitch, falling within Chapter. 27 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of 15 per cent ad valorem and from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act.

2. This notification shall be in force up to and inclusive of the 31st day of May, 1987.

[फा. सं. 355/229/85-सी. शु.-I]

[F. No. 355/229/85-Cust. II]

अधिसूचना

सं. 334/86 सीमाशुल्क

स. का. नि. 830(अ):—केन्द्रीय सरकार, निम्न अधिनियम, 1986 (1986 का 23) की धारा 49 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अथवा पद समाप्त हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करने आवश्यक है, भारत सरकार (राजस्व विभाग) को अधिसूचना सं. 312/86-सीमाशुल्क, तारीख 13 मई, 1986 में निम्नलिखित अधिसूचना जारी की है:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 262 की ओर आने वाली संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. 263 की ओर आने वाली प्रविष्टियों की जाहगी, अर्थात्:—

“263. सं. 333/86-सीमाशुल्क, तारीख 3 जून, 1986”।

[फा. सं. 355/229-85-सो. नं. I]

एम. एन. बिस्वास, अवर सचिव

NOTIFICATION

No. 334/86-CUSTOMS

G.S.R. 830(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 49 of the Finance Act, 1986 (23 of 1986), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 312/86-Customs, dated the 13th May, 1986, namely:—

In the Schedule to the said notification after Serial number 262 and the entries relating thereto, the following Serial number and entries shall be inserted, namely:—

“263. No. 333/86-Customs, dated the 3rd June, 1986”.

[F No. 355/229/85-Cus. I]

M.N. BISWAS, Under Secy.